



विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
एस०एल०डी०सी० परिसर (निकट मंत्री आवास)
विभूति खण्ड, फेज-2, गोमती नगर, लखनऊ-226010
CIN : U32201UP1999SGCO24928

(विज्ञापन सं० 06 / विसेआ / 2019 / का०स०तृ०(ले०) / बैकलॉग)

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि० हेतु समूह 'ग' के अन्तर्गत कार्यालय सहायक(श्रेणी-3) लेखा के पद हेतु, रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित हैं। व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से विद्युत सेवा आयोग कार्यालय में भेजे गये आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है :

1. पदों का विवरण:-

क्रम सं०	पद कोड	पदनाम	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	27	कार्यालय सहायक(श्रेणी-3) लेखा OFFICE ASSISTANT-III(ACCOUNTS)	00	00	03	00

- ❖ उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि० के पास सुरक्षित है।
- ❖ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधिमाम्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है।
- ❖ उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है।
- ❖ विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑन-लाइन परीक्षा (CBT) एक से अधिक पालियों/दिवसों में करायी जायेगी। विभिन्न शिफ्ट के प्रश्नपत्रों के मूल्यांकन के पश्चात् संलग्नक-1 में अंकित Normalisation method (CBT के प्रथम एवं द्वितीय भाग में) श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा।

2. वेतनमान:- वेतन मैट्रिक्स लेवल-04 में वेतनमान रू० 27,200-86,100 एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि० में लागू नियमानुसार देय होंगे।

3. सामान्य अर्हतायें

(i)	राष्ट्रीयता	सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :- (क) भारत का नागरिक हो, या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा(म्यांमार), श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन (Migrate) किया हो: प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका हो: प्रतिबन्ध यह भी है कि श्रेणी (ख) में आने वाले अभ्यर्थी को पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। अग्रिम प्रतिबन्ध यह भी है कि उपर्युक्त श्रेणी (ग) में आने वाले अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण पत्र में दी गई अवधि के पश्चात् सेवा में नहीं रखा जायेगा जब तक उसने भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र न प्राप्त कर लिया हो।
(ii)	आयु	दिनांक 01.07.2019 को न्यूनतम - 21 वर्ष दिनांक 01.07.2019 को अधिकतम -40 वर्ष
(iii)	चरित्र प्रमाण पत्र	(क)नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पुलिस के माध्यम से अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन करवाया जायेगा। सेवा के मध्य कभी भी पुलिस द्वारा अच्छे चरित्र के प्रतिकूल सूचित किया जाता है तो उसे निरन्तर सेवा में रहने की आज्ञा नहीं दी जायेगी तथा उसकी सेवायें बिना किसी नोटिस प्रतिकर अथवा वेतन के निरस्त कर दी जायेंगी। (ख)अभ्यर्थी को अन्तिम शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा। (ग)अभ्यर्थी जिस क्षेत्र का निवासी है उस क्षेत्र के दो ऐसे संबन्धित व्यक्तियों, जो अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हों, से सतचरित्रता का प्रमाण पत्र भी नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा।
(iv)	स्वस्थता प्रमाण पत्र	प्रत्येक अभ्यर्थी, जो प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाये गये हों, को सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जिसे कारपोरेशन ने इसके लिए प्राधिकृत किया हो, से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
(v)	वैवाहिक स्थिति	सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पति हों, परन्तु यह कि निदेशक मण्डल ऐसे किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।



da

Signature

नोट—केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र तथा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियन्त्रणाधीन किसी प्राधिकरण, निगम या निकाय द्वारा सेवा से पदच्युत (Dismissed) व्यक्ति/अभ्यर्थी किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए आरोपित दोष सिद्ध व्यक्ति/अभ्यर्थी भी पात्र नहीं होंगे।

4. अनिवार्य अर्हतायें एवं चयन प्रक्रिया:— अनिवार्य अर्हतायें एवं चयन प्रक्रिया का विवरण निम्नवत् है:—

(i) अनिवार्य अर्हतायें: (क) भारत में केन्द्र/राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि (ख) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य।

(ii) चयन प्रक्रिया :

(क) लिखित परीक्षा : लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र दो भागों का होगा। प्रश्न-पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा तथा परीक्षा ऑन-लाइन माध्यम से करायी जायेगी।

प्रथम भाग :-प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में DOEACC के "CCC" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे व प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। अर्थात् यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी। प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

द्वितीय भाग :-लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नलिखित प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

प्रश्न पत्र	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
अंकगणित	25	25
सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी	50	50
एकाउन्टेंसी एवं सामान्य बुक कीपिंग	75	75
कुल अंक		150

द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर ही टंकण परीक्षा में प्रतिभाग लेने हेतु अभ्यर्थियों की "अनन्तिम सूची" (Tentative List) तैयार की जायेगी, अर्थात् ज्यादा अंक पाने वाला अभ्यर्थी अपने से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी से श्रेष्ठता सूची में ऊपर होगा। कम्प्यूटर ज्ञान के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे। टंकण परीक्षा हेतु इस "अनन्तिम सूची" में अभ्यर्थियों की संख्या रिक्त पदों के सापेक्ष अधिकतम 05 गुना होगी।

(ख) टंकण परीक्षा :- उपरोक्तानुसार तैयार की गयी "अनन्तिम सूची" के अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर 05 मिनट की हिन्दी टंकण परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा तथा इस टंकण परीक्षा में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों का नाम "अनन्तिम सूची" से हटाते हुए जो सूची तैयार होगी, उसमें से रिक्तियों के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया जायेगा।

5.परीक्षा स्थान:— परीक्षायें यथासंभव लखनऊ, मेरठ आगरा एवं वाराणसी शहरों में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

6. अनिवार्य अर्हतायें सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण :-

अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से (provisionally) सम्मिलित किया जायेगा। अभ्यर्थियों को मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता साबित होने अथवा चयन का अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं हो जायेगा। लिखित एवं टंकण परीक्षा के आधार पर शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों के अर्हता सम्बन्धी अभिलेखों की जाँच हेतु निर्धारित स्थान एवं तिथि की सूचना अलग से दी जायेगी।

(क) अभ्यर्थियों द्वारा अर्हता सम्बन्धी निर्धारित योग्यता प्रमाण पत्र/अंकपत्र/जाति प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि (जो अप्रासंगिक हों उन्हें छोड़कर) की एक-एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित छायाप्रति निर्धारित सूचित तिथि पर जमा करायी जायेगी। लिखित परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा(टंकण) को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के ही अर्हता सम्बन्धी सभी प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी।


(ख) किसी भी प्रकार की गलत सूचना प्राप्त होने/देने पर, बिना सूचना के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थन निरस्त करने एवं चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार सुरक्षित है।

(ग) किसी भी स्तर पर आवेदन में दी गयी सूचना में बदलाव (यथा नाम, जन्मतिथि, जाति श्रेणी आदि) नहीं किया जायेगा।

(घ) टंकण परीक्षण एवं अर्हता सम्बन्धी समस्त अभिलेखों की जाँच हेतु निर्धारित तिथियों पर उपस्थिति होना अनिवार्य है, अन्यथा कि स्थिति में चयन प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए, अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा एवं कोई अन्य अवसर नहीं दिया जायेगा।

7. आयु में अनुमन्य छूट : अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष छूट अनुमन्य होगी।

8. अनापत्ति प्रमाण पत्र : यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।



9.अन्य विशेष सूचना :

- (1) अनिवार्य अर्हता सम्बन्धी सभी प्रमाण पत्रों को अभिलेखों की जांच के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 - (2) केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों हेतु अर्ह नहीं हैं।
 - (3) सभी प्रासंगिक अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ तथा एक-एक छायाप्रति मूल आवेदन पत्र के साथ, अभिलेखों की जांच के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन्हें प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में अथवा प्रस्तुत अभिलेख गलत पाये जाने पर अथवा आवेदन पत्र में दी गयी सूचना विज्ञापन के अनुरूप न होने पर अभ्यर्थी को अभिलेखों की जांच में सम्मिलित न करते हुए अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
 - (4) अभिलेखों की जांच विभिन्न स्तरों पर की जायेगी। किसी भी स्तर पर गलत सूचना देने/प्राप्त होने पर अर्हता पूर्ण न पाये जाने पर अभ्यर्थन/चयन बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
 - (5) आवेदन सम्बन्धी पूछताछ हेतु helpdesk619act@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। सभी पत्राचार आवेदन पत्र में भरे गये पत्राचार के पते पर ही किये जायेंगे। उपर्युक्त विज्ञापन बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। विज्ञापन का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.uppcl.org पर देखा जा सकता है।
- नोट:-**नवीनतम शासनादेश के अनुसार विज्ञापित पदों के विरुद्ध गणनानुसार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांग अभ्यर्थियों हेतु पद उपलब्ध नहीं हैं।

10. पारदर्शिता:-

परीक्षा की पारदर्शिता हेतु निम्न व्यवस्थायें की गई हैं:-
लिखित परीक्षा की समाप्ति के पश्चात् प्रश्नपत्र का सही हल, परीक्षा की समाप्ति से लगभग 03 दिन के अन्दर, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा अथवा डाउनलोड करने हेतु लिंक उपलब्ध कराया जायेगा एवं अभ्यर्थी को अपलोड की तिथि से 03 दिन तक का समय साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। अभ्यर्थियों को www.uppcl.org की वेबसाइट से रिस्पांस शीट अपने लागिन आईडी एवं पासवर्ड से डाउनलोड करना होगा। जिसे आयोग द्वारा अलग से उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् परीक्षा सम्बन्धी किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

11. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश होगा।

12. आवेदन शुल्क :

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी जो केवल उ0प्र0 के मूल निवासी हैं।	रु० 700/-

13. विज्ञापित पद पर निर्धारित दक्षता/टंकण परीक्षा के अन्तर्गत कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण केवल Microsoft Word में Font:Kruti Dev 010/016 में ली जायेगी।

14. आवेदन कैसे करें : वेबसाइट www.uppcl.org को खोलें एवं टैब "APPLY ONLINE AGAINST ADVT NO.-06/विसेआ/2019/का0स0तृ0(ले0)/बैकलॉग" पर क्लिक करें तथा नये वेबपेज पर How to Apply पर क्लिक कर प्रक्रिया को समझे।

15. प्रवेश पत्र : लिखित परीक्षा तथा दक्षता/टंकण परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये रजिस्टर्ड ई-मेल पर उपलब्ध कराया जायेगा। आवेदन के समय पंजीकृत मोबाइल नं0 एवं ई-मेल चयन के समय तक सजीव रखें।

16 महत्वपूर्ण तिथियाँ :

क्र0सं0	विवरण	तिथि
1	ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियाँ	23.10.2019 से 14-11.2019 तक
2	ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ	23.10.2019 से 14.11.2019 तक
3	एस0बी0आई0 चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ (चालान डाउनलोड करने की अन्तिम तिथि 14.11.2019)	23.10.2019 से 16.11.2019 तक
4	परीक्षा की सम्भावित अवधि	जनवरी 2020 के प्रथम सप्ताह

सचिव
विद्युत सेवा आयोग

सं0: 1879/विसेआ/06-विसेआ-2019/का0स0तृ0(ले0)/बैकलॉग दिनांक: 09/10/2019



Z-Score Normalization

Normalized Score for each candidate (Xn)

Below is the formula that is used in the calculation of the normalized scores of the multisession papers.

$$X_n = \frac{S_2}{S_1} * (X - X_{av}) + Y_{av}$$

S2	Is the Standard Deviation of the shift with the Highest Average Score taken as base for normalization
S1	Standard Deviation for the corresponding shift (to be scaled to S2)
X	Raw score of a candidate
Xav	Simple average of the candidate Shift
Yav	Average corresponding to shift with highest Average (taken as base for normalization)

